



क्रमांक : राप्रनिमं/झालावाड़/2026-27/ई-निविदा सूचना संख्या 02/560-63 दिनांक: 07/07/2026

ई-निविदा सूचना सं. 02/2026-2027

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ द्वारा 01 वर्ष हेतु निम्न सेवाएँ उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता/संवेदको/फर्मों से वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑनलाईन ई-बिड निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है :-

कार्य विवरण	निविदा की अनुमानित लागत लाखों में,	निविदा शुल्क (DD/ Banker Cheque)	RISL शुल्क (DD/ Banker Cheque)	निविदा प्रतिभूति राशि (DD/Ban ker Cheque)	ई-बिड प्रारम्भ होने की तिथि	ई-बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	तकनीकी ई-बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7	8
02-(दो)- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन्)	Rs.15.00	Rs. 500	Rs. 500	Rs. 30000	08.07.2026	20.07.2026 प्रातः 11:00 बजे तक	21.07.2026 प्रातः 11:00 बजे
01-(एक)- वाहन चालक							
02-(दो) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी							
03-(तीन)- सुरक्षाकर्मी							
01-(एक)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)							

- इच्छुक बोलीदाता दिनांक 08/07/2026 से दिनांक 20/07/2026 प्रातः 11:00 बजे तक वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विभागीय वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पोर्टल पर शर्तें एवं अन्य विवरण देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
- बिड प्रपत्र/निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक **MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, Payable at JAIPUR** के नाम संलग्न करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क Non Refundable है।
- 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, Payable at Jhalawar** के नाम से जमा करवानी होगी।
- RISL फीस का डीडी/बैंकर्स चेक रुपये **500/-MD, RISL, Jaipur** के नाम से देय होगा।
- उक्त समस्त डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक दिनांक 20.07.2026 को समय सायं 5:00 बजे तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

राजस्थान
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. यं.
झालावाड़



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलॉनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



6. MSME/SSI यूनिट को नियमानुसार बोली प्रतिभूति में छूट देय होगी। बिना RISL शुल्क, बोली प्रतिभूति के बिड स्वीकार नहीं होगी।

NIB Code- P.C.B.2627.A00038

UBN Code- P.C.B.2627.S.L.O.B00038


(अनुराग यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

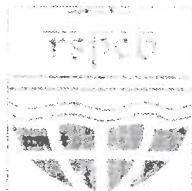
क्रमांक :- राप्रनिम-झालावाड़/ लेखा/सिमित निविदा/26-27/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक: 07/07/2026

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़।
3. रक्षित पत्रावली।


क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



बिड संख्या 02 / 2026-27

कार्यालय-क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ (राजस्थान)

मानव संसाधन सेवाएँ कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी,
प्रयोगशाला परिचर, क्षेत्र सहायक, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)

क्र.सं.	कार्य विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा शुल्क (रुपये में)	विवरण
1	02-(दो)- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद मैन)	रुपये 15.00 लाख	रुपये 500/-	ई-बोली द्वारा
2	01-(एक)- वाहन चालक			
3	02-(दो) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
4	03-(तीन)- सुरक्षा कर्मी			
5	01-(एक)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)			

Date of publication of Bid document	08.07.2026
Bid uploading Start Date	08.07.2026
Last date of physical submission of documents viz Bid document fees, RISL Processing fees and Bid Security	20 .07 . 2026 सायं: 5:00 बजे तक
Last date & time of uploading of Bid Document	20 .07.2026 प्रातः 11:00 बजे तक
Date and Time of Opening of Technical Bids	21.07.2026 प्रातः 11:00 बजे

बोली दस्तावेज SPPP पोर्टल पर UBN No. PCB.2627.SL.OB.0003.8 से प्राप्त किये जा सकते है।

राज. नि. मं.
क्षेत्रीय अधिकारी
झालावाड़



भारीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



बोली आमंत्रण सूचना विवरण (बिड संख्या 02/2026-27)

1	उपापन प्राधिकारी का नाम व पता	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पता:-प्लॉट नं. 09, ब्लॉक नं. 01, कालीदास कॉलोनी, RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने झालावाड़ (राज.) पिन-326001
2	विषय-वस्तु/कार्य का नाम	मानव संसाधन किराये पर लिया जाना- 02-(दो)-कम्प्यूटर मय ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिक, 01-(एक) वाहन चालक, 02-(दो)- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 03-(तीन)-सुरक्षाकर्मी, 01-(एक)-सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)
3	बोली प्रक्रिया	दो बिडिंग:- दो भाग (तकनीकी एवं वित्तीय) खुली प्रतियोगिता में ई-बिड प्रक्रिया
4	बोली मूल्यांकन मापदण्ड (चुनाव प्रणाली)	कम से कम कीमत आधारित चयन (LCBS)
5	बोली दस्तावेज, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट इत्यादि डाउनलोड करने के लिये वेबसाइट	https://eproc.rajasthan.gov.in https://sppp.rajasthan.gov.in https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb
6	बोली की अनुमादित राशि	15.00 लाख
7	बोली प्रतिभूति राशि एवं भुगतान का प्रकार	30000/-भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT JHALAWAR के नाम देय हो।
8	बोली प्रपत्र शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500/-भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT JAIPUR के नाम देय हो।
9	RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं भुगतान का प्रकार	500/- भुगतान का प्रकार :- डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक MD RISL, JAIPUR के नाम देय हो।
10	बोली दस्तावेज की बिक्री की अवधि (आरम्भ एवं समाप्ति दिनांक)	आरम्भ तिथि :- 08/07/2026 अन्तिम तिथि :- 20/07/2026 प्रातः 11:00 बजे तक
11	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने की आरम्भ एवं अन्तिम तिथि एवं समय	आरम्भ तिथि :- 08/07/2026 अन्तिम तिथि :- 20/07/2026 प्रातः 11:00 बजे तक
12	बोली ऑनलाईन प्रस्तुत करने का तरीका	ऑनलाईन E-Proc वेबसाइट पता :- https://eproc.rajasthan.gov.in
13	बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक)	दिनांक 20/07/2026 समय सायं: 5:00 बजे तक
14	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 20/07/2026 समय प्रातः 11:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पता:- प्लॉट नं. 09, ब्लॉक नं. 01, कालीदास कॉलोनी, RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने झालावाड़ (राज.) पिन-326001
15	बोली वैधता	90 दिन
16	कार्य की अवधि	01 वर्ष

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071

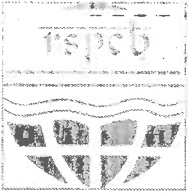


इच्छुक बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नियत समय से पूर्व कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति राशि हेतु राजस्थान लोक उपापन अधिनियम के नियम संख्या 42 में उल्लेखित नियम व शर्तों लागू रहेगी।

1. बोलीदाता का नाम :-
2. बोलीदाता का पता :-.....
3. बोलीदाता के फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर :-
4. वाट्सअप नम्बर :-.....
5. ई-मेल आई डी :-
6. बोली प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को पढ़कर हस्ताक्षर कर दिये हैं, इनका पालन करने के लिये मैं सहमत हूँ तथा पालन करूंगा।
7. बोली को बिना कारण बताएँ निरस्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ का होगा।
8. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र झालावाड़ होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

म.प्र. नि. मं.
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवडी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाता को तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ PF, ESI, GST, PAN एवं श्रम विभाग में मानवश्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप Shop & commercial Establishment Act में पंजीयन के प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी। विवरण संलग्न प्रपत्र में अंकित करना होगा। तकनीकी बिड में वितीय बिड की दरें अंकित ना करे। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
2. बोली प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत/संलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। फर्म/संस्था का अधिकृत व्यक्ति जो बोली प्रपत्रों, शर्तों, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा। उसी के साथ अनुबन्ध तथा समय-समय पर प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों पर भी हस्ताक्षर किये जायेगे। प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर अंकित करना होगा।
3. बोली की तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज Online Pdf File बनाकर Upload करने होंगे।
4. सफल तकनीकी संवेदक की बोली की वित्तीय बिड Online BOQ में Excel File में डालनी होगी। तकनीकी में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड कार्यालय व्यवस्था अनुसार खोली जायेगी।
5. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रपत्रों को विभागीय इन्टरनेट साईट <https://www.environment.rajasthan.gov.in/E-Proc/rpcb> से भी डाउनलोड (Download) कर सकते हैं।
6. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को इन्टरनेट साईट <https://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर रजिस्टर करवाना होगा।। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिये Class 3 Digital Signature Certificate प्राप्त करना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साईन करने हेतु काम आयेगा। उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट स्वीकृति एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।
7. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल सिग्नेचर के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा।
8. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों में जमा करवाने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच/संलग्न कर दी गई है। बोली प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करें।
9. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग/कार्यालय नहीं होगा।
10. ऑनलाईन बोली निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष ही डाउनलोड की जावेगी।
11. तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही कार्यालय व्यवस्था अनुसार वित्तीय बिड खोली जावेगी। बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।
12. बोलीदाता बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के डीडी दिनांक 20/07/2026 को सायं 5:00 बजे तक बन्द लिफाफों में इस कार्यालय में टेण्डर पेटी में आवश्यक रूप से जमा करावें। लिफाफे पर मध्यम भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मैन पावर बोली देय शुल्क" लिखें एवं नीचे सम्बन्धित फर्म का नाम अवश्य लिखें।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



सामान्य शर्तें

1. बोलीदाता के पास सेवांकर खाता संख्या एवं आयकर खाता संख्या (पेन) होना आवश्यक है।
2. संवेदक द्वारा माह के बिल मय उपस्थिति माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसका सत्यापन कार्यालय अध्यक्ष से कराना होगा। भुगतान चैक पद्धति से किया जायेगा। EPF, ESI, GST जमा कराने का चालान आगामी माह में बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसमें सभी सेवा निष्पादक के नाम स्पष्ट रूप से अंकित होंगे।
3. संवेदक द्वारा सेवा निष्पादक को मासिक भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा संवेदक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके द्वारा पिछले माह का भुगतान (EPF, ESI) समस्त श्रमिकों को बिना किसी कटौती के कर दिया गया है।
4. बोलीदाता सेवा शुल्क की अव्यवहारिक दरें प्रस्तुत ना करें। न्यूनतम सेवा शुल्क की दर 1 रुपया होगी। दरें पूर्ण रुपये में ही स्वीकार होगी। उदाहरण रु. 1,2,3,4,5,100,200 प्रति सेवा निष्पादक सर्विस चार्ज 1 रु. से कम प्रस्तुत करने पर बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। दशमलव के बाद अंक 00 होगा। पैसे में राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
5. सफल बोलीदाता के निर्धारण का मापदण्ड वित्तीय बोली की तालिका में कॉलम संख्या 10 के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
6. 01 से अधिक बोलीदाता की दरें यदि न्यूनतम व समान है तो सर्वप्रथम स्थानीय (झालावाड़ स्थित) फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो स्थानीय फर्म की दरें समान है तो औसत Turnover अधिक राशि वाली फर्म एवं तदोपरांत 03 वर्षों के अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा व सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।
7. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-
(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5% (पांच प्रतिशत) राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD JHALAWAR, PAYABLE AT JHALAWAR के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकती है या लौटाई जा सकती हैं।
(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. शिकायत में 03 से अधिक बार भुगतान में देरी प्रकरण पर अन्य फर्म को कार्य आदेश दिया जा सकेगा व फर्म की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. कौशल विकास योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व भारत सरकार की अन्य योजनाओं में सेवा निष्पादक को कार्यालय द्वारा आदेशित करने पर जोड़ा जायेगा।
10. राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही बोली में भाग लेने हेतु अर्हत् होगा। पंजीकृत प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि

क्षेत्रीय अधिकारी
य. प्र. नि. मं.



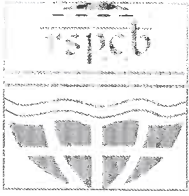
पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संवेदक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा श्रमिक अधिनियम 1970 का पंजीकरण इस विभाग का नहीं होने पर आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करने बाबत वचन पत्र (घोषणा पत्र) प्रस्तुत कर अपलोड करना आवश्यक होगा।

11. सेवा निष्पादक सामान्यतः क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ के कार्यालय समय के अनुसार उपलब्ध कराना होगा, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिन कार्य पर बुलाया जा सकता है जिसका कोई अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. सेवाप्रदाता सेवा निष्पादक से कोई कमीशन नहीं लेगा, न ही सेवा निष्पादक को सेवा समाप्ति के संबंध में परेशान करेगा। सेवा निष्पादक को लगाने व हटाने से पूर्व कार्यालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत सेवा प्रदाता/सेवा निष्पादक के संबंध में प्राप्त होने पर श्रम विभाग को सूचित कर उपापन संस्था द्वारा RTPP नियमानुसार DEBAR व कार्य आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
13. किसी भी सेवा निष्पादक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं होने/उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की मौखिक/लिखित शिकायत प्राप्त होने पर सेवा प्रदाता कार्यालय के आदेशानुसार तुरन्त प्रभाव से उसके स्थान पर नये सेवा निष्पादक को लगायेगा।
14. श्रम विभाग अथवा मण्डल स्तर से यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो सेवा प्रदाता द्वारा उसका भुगतान बढी हुई दरों के अनुसार किया जायेगा जिसका पुनर्भरण 10 दिवस में कार्यालय से होगा।
15. सेवा प्रदाता किसी कर्मिक को लगाने हटाने से पूर्व इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेगा।
16. सनदी लेखाकार द्वारा दिये गये **टर्नओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्धति से ही मान्य** होंगे।
17. बिलों में नियमानुसार GST देय होगा तथा TDS एवं GST की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
18. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली मानव संसाधन सेवाएँ अस्थायी होगी तथा ठेका अवधि पूर्ण होने पर उसके द्वारा लगाये कर्मियों की सेवाएँ स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। सेवाओं को नियमित नियुक्ति एवं नियोजन के संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं कार्यरत कर्मिकों के मध्य किसी भी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होगा। ठेकेदार श्रम विभाग की दरों नियम एवं विनियम आदि की पालना स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेगा। अनुबन्ध से पूर्व बोलीदाता द्वारा सेवाओं को उक्त पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची (योग्यता एवं अनुभव अंकित करते हुए) प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़ द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी, उन व्यक्तियों की ही सेवाएं अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
19. संवेदक को मैन पावर विद मशीन, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) इत्यादि क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ में आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाने होंगे। अतिरिक्त

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



- मांग की स्थिति में 03 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे एवं उनकी संख्या में कमी/बढ़ोतरी की जा सकेगी।
20. संवेदक संबंधित व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी कागजात/दस्तावेजों की स्वःहस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी ओर से करेगा कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखायेगा एवं मांगने पर फोटोप्रति भी उपलब्ध करवाएगा। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, कागजात एवं दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधी दायित्व संवेदक का होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शीथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।
 21. किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड एवं शास्ती की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि में से वसूल करने का अधिकार इस विभाग का होगा।
 22. सफल सेवाप्रदाता को नियोजित पुराने ठेका श्रमिक जो वर्तमान में अनुबंध के तहत भी कार्य कर रहे हों, इनके EPF की राशि नवीन खाते में दो माह में स्थानान्तरित की जायेगी।
 23. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा ठेकेदार/ फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों से वैधानिक कटौतियां एवं टी.डी.एस. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।
 24. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/ दायित्वों के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 25. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
 26. बोलीदाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अन्तर्गत मानव श्रम आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में Shop & Commercial Establishment Act में पंजीयन या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है।
 27. फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ को लिखित में संवेदक द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म जो पहले सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा फर्म में नया/नये भागीदार, संविदा शर्तों/नियमों को पूर्ण रूप से मानने/स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा/होंगे।



28. सेवाओं का समय राज्य सरकार के निर्धारित नोर्म्स के अनुसार होगी, किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात् अवकाश के दिन भी सेवाएं ली जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
29. संवेदक द्वारा सेवा के दौरान जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
30. बोलीदाता को राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवा निष्पादक की आपूर्ति कराने का पिछले 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है और कम से कम 20 सेवा निष्पादकों की आपूर्ति करने का संबंधित विभाग द्वारा जारी संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, केवल कार्य आदेश ही मान्य नहीं होगा।
31. सेवाएं एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने व घटाने का अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ का होगा।
32. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक/अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम), अवांछनीय व्यक्ति न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति अथवा असामयिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
33. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले व्यक्तियों (मैन पावर) को उनको परिचय पत्र बनवाकर देना अनिवार्य होगा, जो क्षेत्रीय कार्यालय में ड्यूटी के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पॉकेट/गले में पहचान हेतु अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त जॉब श्रमिक को वॉटर आई.डी. अथवा आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक आई.डी. रखनी होगी। जो माँगने पर दिखानी होगी।
34. राज्य सरकार की सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं श्रम विभाग के नियमों तथा न्यूनतम मजदूरों के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक नियमों के पालना संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। न्यूनतम मजदूरी अनुसार भुगतान करने का दायित्व संवेदक का ही रहेगा।
35. सेवा निष्पादक से किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी, हानि आदि होने पर संवेदक से वसूली की जायेगी।
36. सेवा निष्पादक को सम्बन्धित कार्यस्थल के प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
37. बोलीदाता द्वारा फर्म के मालिक/प्रोपराईटर/डायरेक्टर/प्रबन्धक एवं उपलब्ध करवाये जाने वाले समस्त सेवा निष्पादकों का राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस वैरिफिकेशन संलग्न करना होगा, जो छः माह से अधिक पुराना न हो।
38. संवेदक को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के तहत स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत पर से इस कार्यालय के आदेशानुसार मानदेय पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा। उक्त मानदेय में समस्त कर व कटौतियां यथा GST, EPF, ESI इत्यादि सम्मिलित होगी।
39. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14/11/2018 के पालना में :-
 - बोलीदाता (Bidder) के द्वारा बोली प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो बोलीदाता द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत



बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र (Undertaking) प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।

- सफल बोलीदाता को यह शपथ-पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बोली अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधिक अधिनियम एवं श्रमिक अनुबंध, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है, तो तदनुसार पंजीकरण संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।

40. सेवा प्रदाता का **राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय** होना अनिवार्य है।
41. अनुबंध के अधिकतम 03 दिवस में श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाने पर अनुपलब्ध कार्मिक 200/- रु प्रति कार्मिक प्रति दिवस पेनल्टी लगेगी।
42. आवश्यकता/उपयुक्त समझे जाने पर समानान्तर दर पर अनुबन्ध किया जा सकेगा।
43. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
44. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
45. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
46. बोली का अपवर्जन (Exclusion):- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
47. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व कर्मचारियों को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा अमानत राशि के स्थान पर उल्लेखित घोषणा पत्र अनुसार कार्यवाही कर कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, झालावाड़ को होगा।
48. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):-
कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) का निर्णय अंतिम होगा।
49. भुगतान:-सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु



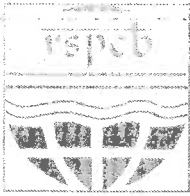
आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

50. सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं होगी।
51. स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेंगे।
52. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियों के बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी कर्मचारियों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा। देरी से भुगतान करने पर 500/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालय में शास्ति पैनैल्टी की राशि जमा करवानी होगी।
53. न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (एल-2) को कार्य दिया जा सकेगा एवं न्यूनतम बोलीदाता (एल-1) से बोली प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर RTPP Act 2012 व RTPP Rules 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
54. उपर्युक्त शर्तों संख्या 1 से 53 में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तों को जोड़ने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

Dr. Nand
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎ 07432-295071



तकनीकी बोली प्रपत्र

1.	बोली आमंत्रित करने वाला कार्यालय	क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पता:- प्लॉट नं. 09, ब्लॉक नं. 01, कालीदास कॉलोनी, RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने झालावाड़ (राज.) पिन-326001														
2.	बोली आमन्त्रण का संदर्भ	सूचना संख्या - 02/2026-27														
3.	बोली के अधीन कार्य का विवरण	मानव संसाधन किराये पर लिया जाना- 02-(दो)-कम्प्यूटर मय ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिक, (मशीन विद् मैन) 01-(एक) वाहन चालक, 02-(दो)-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 03-(तीन)-सुरक्षाकर्मी, 01- (एक)-सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)														
4.	उपापन संस्था	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़														
5.	बोलीदाता फर्म का विवरण	<table border="1"> <tr><td>नाम</td><td></td></tr> <tr><td>पता कार्यालय</td><td></td></tr> <tr><td>टेलीफोन नं.</td><td></td></tr> <tr><td>मोबाईल नं.</td><td></td></tr> <tr><td>प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम</td><td></td></tr> <tr><td>ई-मेल</td><td></td></tr> <tr><td>वेबसाइट</td><td></td></tr> </table>	नाम		पता कार्यालय		टेलीफोन नं.		मोबाईल नं.		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम		ई-मेल		वेबसाइट	
नाम																
पता कार्यालय																
टेलीफोन नं.																
मोबाईल नं.																
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम																
ई-मेल																
वेबसाइट																
6.	क्या बोलीदाता फर्म/संस्था पंजीकृत है ? यदि हां तो.....															
	<table border="1"> <tr><td>पंजीयन क्रमांक व दिनांक</td><td></td></tr> <tr><td>पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी</td><td></td></tr> <tr><td>विधि, जिसके तहत पंजीकृत है</td><td></td></tr> <tr><td>पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक</td><td></td></tr> <tr><td>राज्य जिसमें पंजीकृत है।</td><td></td></tr> </table>		पंजीयन क्रमांक व दिनांक		पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी		विधि, जिसके तहत पंजीकृत है		पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक		राज्य जिसमें पंजीकृत है।					
पंजीयन क्रमांक व दिनांक																
पंजीयक कार्यालय/प्राधिकारी																
विधि, जिसके तहत पंजीकृत है																
पंजीयन की वैधता समाप्ति दिनांक																
राज्य जिसमें पंजीकृत है।																
7.	निविदा में उल्लेखित समस्त पदानुसार 3 वर्षों का राजकीय विभागों निगमों, सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं एवं राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपलब्ध करवाये गये निविदा कार्मिकों के संबंध में सफलतापूर्वक कार्य अनुभव	सफलतापूर्वक/संतोषजनक कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें।														

क्षेत्रीय अधिकारी
स. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल-झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



8	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
9	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
10	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
11	वस्तु एवं सेवा कर (GST) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
12	आयकर (पैन) का पंजीकरण	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
13	फर्म के अन्तिम तीन वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 के सी. एं. द्वारा अंकेक्षित अंतिम खाते।	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
14	शपथ पत्र 100 रु. नोन ज्यूडिसीयल स्टाम्प तैयार Annexure B के अनुसार	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।
15	सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु सुरक्षा सेवाओं से सम्बन्धित राज्य सरकार का अनुज्ञा प्रमाण पत्र/लाइसेन्स(PASARA ACT,2005 के अन्तर्गत पंजीकरण)	प्रमाणित दस्तावेज बोली में अपलोड करें।

मे. मा. ड.
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवडी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार बोलीदाता/संवेदक द्वारा पंजीकरण इत्यादि का विवरण नियमानुसार प्रस्तुत करें

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

बोलीदाता हेतु महत्वपूर्ण आवश्यक निर्देश

- वित्तीय दरों को तकनीकी बोली प्रपत्र तथा तकनीकी बोली के साथ अपलोड किये जाने दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं करें, ऐसा करने पर बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
- तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता को ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड को ऑनलाईन वेबसाइट <https://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करें।
- तकनीकी बिड को ई-प्रोक्योरमेन्ट पर ही ऑनलाईन अपलोड करें, इस कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
- बोली प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग शुल्क, बोली प्रतिभूति (डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक), जो बिड प्रपत्र में निर्धारित की गई है, को जमा करवाने की अंतिम दिनांक एवं समय के डी.डी. दिनांक 20/07/2026 को सायं: 5:00 बजे तक बन्द लिफाफे में इस कार्यालय में अवश्य रूप से जमा करें। लिफाफे पर मध्य भाग में स्पष्ट अक्षरों में "मेन पावर बोली देय शुल्क" लिखें एवं नीचे संबंधित फर्म का नाम लिखें। उसके अभाव में डी.डी. प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं की तकनीकी एवं वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. मं.
झालावाड़



बोलीदाता द्वारा तकनीकी रूप से पात्र होने की घोषणा

1. यह कि मैं/हम (नाम).....क्षेत्रीय कार्यालय, रा. प्र. नि. म. झालावाड़ द्वारा प्रकाशित बोली सूचना संख्या दिनांक के प्रत्युत्तर के बोली में वर्णित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एतद् द्वारा तकनीकी बोली प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / प्रपत्र भी प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं:-

- (1) बोली प्रपत्र शुल्क राशि रुपये जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या.....
- (2) बिड प्रोसेसिंग फीस का जमा कराने का विवरण (छाया प्रति) पृष्ठ संख्या.....
- (3) बोलीदाता फर्म/संस्था के पंजीकरण का विवरण पृष्ठ संख्या.....
- (4) पिछले 03 वर्षों की सेवाएँ उपलब्धता का संतोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (5) श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स का विवरण एवं वैधता तिथि पृष्ठ संख्या.....
- (6) पेन (PAN) पृष्ठ संख्या.....
- (7) जीएसटी (GST) पंजीयन का विवरण पृष्ठ संख्या.....
- (8) ESI पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (9) EPF पंजीयन (नवीनतम) प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (10) सी. ए. का टर्नओवर प्रमाण पत्र पृष्ठ संख्या.....
- (11) फर्म के वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) के अंकेक्षित अंतिम खाते पृष्ठ संख्या.....
- (12) बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति पृष्ठ संख्या.....

2. यह कि इस बोली के संबंध में समस्त शर्तें मेरे हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ व समझ ली गई है। जिसके प्रमाण स्वरूप इस शर्त प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मैं/हम उन शर्तों की पालना करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

3. यह है कि इस बोली के तहत अनुबन्ध होने से पूर्व मेरे द्वारा श्रम विभाग के राक्षम अधिकारी से श्रमिक ठेका लाइसेंस लेना होगा, उतनी संख्या में श्रमिकों का बीमा मेरे/हमारे द्वारा कराया जायेगा।

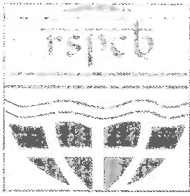
4. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार पंजीकरण के समस्त विवरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

5. यह कि मेरी/हमारी तरफ से कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी गई है।

नोट:- तकनीकी बोली में उपरोक्त बिन्दु मूल्यांकन की अनिवार्य शर्त है, जिनके आधार पर बोलीदाता संस्था/ठेकेदार की पात्रता का निर्णय किया जावेगा

बोलीदाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
दूरभाष संख्या (कोड सहित) मोबाईल फोन नम्बर	
ई-मेल	

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. म.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎ 07432-295071



E-PROC पर वित्तीय बोली अपलोड करने हेतु प्रपत्र

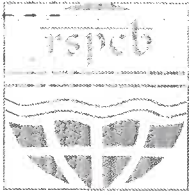
संवेदक को माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए बोली में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जावेगी

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु)	कुल राशि रु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02-(दो) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर प्रशिक्षित कार्मिक (मशीन विद् मैन)	उच्च कुशल	12000 / - (प्रति कार्मिक)	02-(दो)		13.00%	3.25%		
2	01-(एक)- वाहन चालक	कुशल	12000 / - (प्रति कार्मिक)	01-(एक)		13.00%	3.25%		
3	02-(दो) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	10000 / - (प्रति कार्मिक)	02 (दो)		13.00%	3.25%		
4	03-(तीन)- सुरक्षाकर्मी	कुशल	8034 / - (प्रति कार्मिक)	03 (तीन)		13.00%	3.25%		
5	01-(एक)- सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)	अकुशल	3705 / - (प्रति कार्मिक)	01 (एक)		लागू नहीं	लागू नहीं		

- वित्तीय बोली प्रपत्र मात्र E-PROC पोर्टल पर निर्धारित BOQ Exel File द्वारा अपलोड करनी है। किसी भी स्थिति में दरें तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत ना करें। ऐसा करने पर बोली निरस्त कर दी जायेगी।
- कम संख्या 01, 02 एवं 03 में चाही गई सेवाओं हेतु राज्य मण्डल द्वारा संरक्षित न्यूनतम राशि उल्लेखित की गई है। इससे कम व अधिक की राशि निविदा प्रपत्र में अंकित किये जाने पर निविदा प्रपत्र अस्वीकार कर दिये जावेगे। सेवा प्रदाता द्वारा कम संख्या 4 व 5 न्यूनतम मजदूरी की दर से कम दर अंकित नहीं की जानी चाहिए।
- न्यूनतम दरदाता का निर्धारण कॉलम संख्या 10 के कुल योग के आधार पर किया जायेगा।
- संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
- स्तम्भ संख्या 6, 9, एवं 10 में राशि केवल पूर्ण रूपये में भरी जायेगी एवं राशि 01 (एक) रूपये से कम दशमलव में, ऋणात्मक, प्रतिशत या अन्य किसी प्रकार से भरी पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय दिनांक व पता

रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्य करने हेतु कार्य की शर्तें

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।
2. मशीनों का विवरण:-निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार होना आवश्यक/अनिवार्य है-

Computer System & including the following items with specifications-

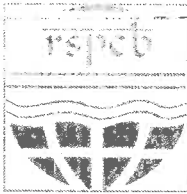
- A. Computer-Intel Core i5/Equivalent AMD based Computer or higher speed- RAM 4 GB or higher] Hard disk 500 GB or more] 17" Monitor/TFT of higher] 10/100/1000 Mbps] LAN Card] CD/DVD Writer] Standard Keyboard] Optical Mouse] Standard Serial] Parallel & USB Ports Window 7 or higher] Anti Virus] Preinstalled MS Office] Responsibility of software license will be borne by the contractor.
 - B. Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For specification needs (HP Canon & Higer).
 - C. UPS- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
3. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टैक्स/जीएसटी हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है
 4. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
 5. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, झालावाड़ होगा।
 6. किसी भी माह में चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/- प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से कटौती की जायेगी।
 7. निविदादाता द्वारा निविदा सम्पादन के पश्चात् निविदा में अंकित/उल्लेखित कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, यूपीएस इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में राशि 500/- प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी।
 8. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/फर्म ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।
 9. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होगी।
 10. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स.....

पता:.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



—: वाहन चालक की सेवाये हेतु शर्त:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा।
2. कार्यो के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
3. निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. ड्यूटी पर कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
5. वाहन चालक मुख्यालय से बाहर जाने पर एक रात्रि विश्राम 300/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, झालावाड़ का निर्णय अन्तिम होगा जो बोलीदाता को मान्य होगा।
7. ड्राइवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाइसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
8. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
9. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
10. मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।
11. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
12. मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।
13. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ-सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।
14. वाहन चालक द्वारा नियमित ड्यूटी के अतिरिक्त यदि ऑवर टाइम किया जाता है तो अतिरिक्त समय की गणना पूर्ण घण्टा होने पर की जाएगी।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎ 07432-295071



चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्तें

1. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रुपये की दर से अलग से शास्ती भी वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता को स्वयं वहन करना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सी, बैंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाईलो, रिकार्ड इत्यादि को आदेशानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना एवं प्रभारी द्वारा बताये गये अन्य कार्य करने होंगे।
4. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
5. निविदादाता /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी संजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
6. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
7. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा। निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
8. यदि अनुबन्ध के सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
9. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।
10. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
11. मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद निविदा समाप्त की जा सकेगी।
12. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, झालावाड़ का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
13. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार झालावाड़ होगा।
14. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्तें मान्य होंगी।

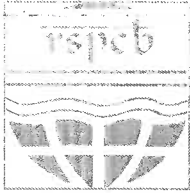
दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



—: सुरक्षाकर्मी की सेवायें हेतु शर्तें :-

1. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये सिव्यूरिटी मैन की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
2. सिव्यूरिटी मैन को प्रतिदिन 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी।
3. किसी भी सिव्यूरिटी मैन के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सुरक्षाकर्मी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा 500 रुपये जुर्माना देय होगा।
4. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी। जिसमें सिव्यूरिटी मैन को प्रोविडेंट फण्ड एवं राज्य बीमा कानून आदि लागू होंगे।
5. सिव्यूरिटी मैन को निर्धारित वर्दी में रहना एवं बेंच लगाना अनिवार्य होगा। सुरक्षाकर्मी को वर्दी, टार्च, सीटी एवं डंडा (4-फिट) का निविदादाता स्वयं को उपलब्ध करायेगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 50/- प्रति कर्मचारी पेनल्टी देनी होगी।
6. यदि किसी न्यायालय, अधिकरण मण्डल द्वारा पारित अवार्ड की पालना में यदि किसी राशि के भुगतान का दायित्व मण्डल पर आता है, तो अदायगी की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. निविदादाता के सिव्यूरिटी मैन की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
8. सिव्यूरिटी मैन के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
9. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना, अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
10. सिव्यूरिटी मैन का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पड़ेगा।
11. कोई भी सिव्यूरिटी मैन दूसरी शिफ्ट के स्टॉफ को चार्ज संभालाने के बाद ही ड्यूटी से ऑफ होगा।
12. यदि किसी कारणवश कोई सिव्यूरिटी मैन ड्यूटी पर नहीं आ सके तो उसके एवज में दूसरा सिव्यूरिटी मैन निविदादाता को उपलब्ध कराना होगा।
13. उपलब्ध कराये गये सिव्यूरिटी मैन का पुलिस वेरीफिकेशन क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, झालावाड़ को प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कर्मियों को कार्यालय अनुशासन का पूर्ण पालन करना होगा।
14. सिव्यूरिटी मैन जहां भी नियुक्त हो वहां पर रखे राजिस्टर में आने जाने एवं कोई विशेष घटना का विवरण समय डाल कर अंकित करना होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. निरन्तर 24-घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रतिमाह की दी जावे जिससे रविवार व अन्य अवकाश के दिन भी सम्मिलित होंगे।
17. सिव्यूरिटी मैन के अनुपस्थित पाये जाने पर देय भुगतान मय क्षतिपूर्ति निविदादाता के मासिक बिल से काट लिया जावेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जावेगा।
18. किसी भी प्रकार की क्षति के लिये क्षति पूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
19. निविदादाता को सिव्यूरिटी मैन सेवाओं संबंधी राज्य सरकार का अनुज्ञा पत्र/लाईसेन्स एवं सेवाकर/आयकर नम्बर मय प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने होंगे।
20. राज्य सरकार द्वारा सिव्यूरिटी मैन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेशों/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्तें

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामान्यतः सफाई कर्मचारी द्वारा कार्यालय खुलने के समय से पूर्व कार्यालय की साफ-सफाई किया जाना होगा।
2. किसी भी सफाई कार्मिक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कार्मिक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. कार्यालय सफाई हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा-जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी-बेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. निविदादाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. सफाई कार्मिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
10. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।
11. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी., आयु प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
12. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
13. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. झालावाड़ का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, झालावाड़ न्यायालय ही रहेगा।

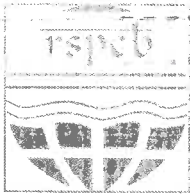
दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....

पता:.....

रा.प्र.नि.म.
क्षेत्रीय अधिकारी
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



वित्तीय टर्न ओवर

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु. लाखों में)
1.	2022-23	
2.	2023-24	
3.	2024-25	

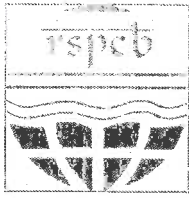
सी.ए. द्वारा जारी सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

सी.ए. द्वारा दिये गये टर्नओवर सर्टिफिकेट UDIN पद्धति से ही मान्य होंगे।

नोट:-प्रति वित्तीय वर्ष में कम से कम 30 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है।

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎ 07432-295071



अनुभव कार्य का विवरण (पिछले तीन वर्षों से पुराना नहीं)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	वर्ष	कार्य की अवधि	उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों की संख्या
1.				
2.				
3.				

(हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर)

मे.म. नाव
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



निविदादाताओं द्वारा घोषणा

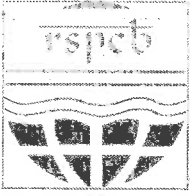
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों/सेवाओं के लिए निविदा दी है, उनका मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/सो सेलिंग/विपणन एजेंट/सेवा प्रदाता हूँ।

यदि यहा घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम :.....
.....
मोबाईल नम्बर :.....
.....
2. पूर्ण पता :.....
.....
.....
.....
3. टेलीफोन नम्बर (निवास) :.....
.....
(कार्यालय) :.....
.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎ 07432-295071



(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने तथा अन्य सक्षमताएं पूरी करने का प्रमाण पत्र

मैं/हम धोषणा करते हैं कि मैं/हमने बोली की समस्त जानकारी/षर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा त्ज् अधिनियम की धारा 46 एवं त्ज् नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (कमइंततमक) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राशि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

Dr. N. C. D.
क्षेत्रीय अधिनगरी
अ. प्र. नि. मं.
झालावाड़

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं
मोहर
नाम
पूर्ण पता
मो.नम्बर



Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process-;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

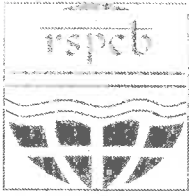
Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1 A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- a. have controlling partners/ shareholders in common, or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

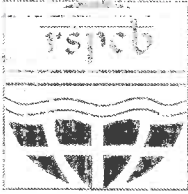


क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
यु. प्र. नि. मं.
झालावाड़



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to.....for
procurement ofin response to their Notice Inviting Bids
No. Dated..... I/We hereby declare under
section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:.....

Signature of bidder

Palace:.....

Name:.....

Designation:.....

Address:.....

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases.**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality;

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
जालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

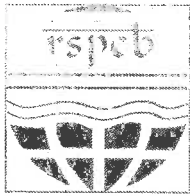
(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
य. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No

of.....
.....

Before the (First
/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....

(Supported by an

affidavit)

7. Prayer:

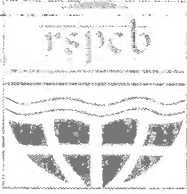
.....
.....
.....

Place:.....

Date:.....

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract

ठा. प्र. नि. प.
क्षेत्रीय अधिकारी
झालावाड़



— क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071

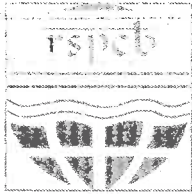


and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

01/11/20
क्षेत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. मं.
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



क्रमांक :- राप्रनिम-झालावाड़ / लेखा / सिमित निविदा / 26-27 /

दिनांक: 07 / 07 / 2026

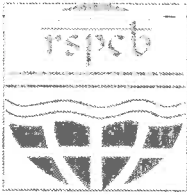
Notice: Inviting Bid (E-Tender)

Open Bid (E-Tender) are invited for Man Power supply for this office. Interested bidder can apply till 11:00 Am dated 20.07.2026, for other particulars of the bid you may visit the procurement portal <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> of the state and notice board of this office.

UBN:

NIB:

म.प्र.नि.म.
क्षेत्रीय अधिकारी
RSPCB, Jhalawar
झालावाड़



क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालावाड़
प्लॉट नं.-09, ब्लॉक नं.-01, कालीदास कॉलोनी,
RTDC होटल गांवड़ी तालाब के सामने, झालावाड़ 326001
Email-rorpcb.jhalawar@gmail.com ☎07432-295071



क्रमांक :- राप्रनिम-झालावाड़ / लेखा / ई-निविदा / 26-27 /

दिनांक: 07.07.2026

ई-बोली निविदा सूचना संख्या 02 / 2026-27

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालावाड़ के द्वारा स्पेसिफिकेशन अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकृत विभाग में पंजीकृत/रजिस्टर्ड फर्म/संस्था/कम्पनी/एजेन्सीज से कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद् मैन्)-2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-2, वाहन चालक-1, सफाई कार्मिक (अंशकालीन)-1 एवं सुरक्षाकर्मी-3 (कुल अनुमानित लागत 15 लाख) की सेवायें लिये जाने हेतु डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द लिफाफें में ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। उपरोक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 08/07/2026 से 20/07/2026 तक निर्धारित कार्यालय समय में बोली प्रपत्र शुल्क राशि 500/- नकद/डीडी/बैंकर चैक द्वारा जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं निविदा प्रपत्र दिनांक 20/07/2026 को ही सायं: 5:00 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं एवं इस ई-निविदा सूचना सम्बन्धित सभी दस्तावेज की सम्पूर्ण जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb> एवं E-proc.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

NIB Code- PCB 2627 A 0038

UBN Code- PCB 2627 SLOB 00038

क्षेत्रीय कार्यालय
रा.प्र.नि.म. झालावाड़